उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-21/2023/666 /दो-2-2023-28/2(10)/2023
लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई,2023

कार्यालय-ज्ञाप

श्री उदय सिंह, पी0सी0एस0,रजिस्ट्रार, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्व-विद्दयालय, लखनऊ जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक-**30-06-2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दि0 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिव़त्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव,इरला चेक(वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन ।

2- श्री उदय सिंह,पी0सी0एस0,से0नि0,**पता**-ग्राम-धनखिरिया, पोस्ट-धेचुआ, तहसील-खलीलाबाद, जनपद-संत कबीरनगर,पिन-272199 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-21/2023/666(1)/दो-2-2023-28/2(10)/2023
लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई,2023

विशेष सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री उदय सिंह, पी0सी0एस0,रजिस्ट्रार, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्व-विद्दयालय, लखनऊ जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक-**30-06-2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियॉ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:-श्री उदय सिंह,पी.सी.एस.से.नि.,**पता**-ग्राम-धनखिरिया, पोस्ट-घेचुआ, तहसील-खलीलाबाद, जनपद-संत कबीरनगर,पिन-272199 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-21/2023/666(।।)/दो-2-2023-28/2(10)/2023

लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई,2023

आदेश

श्री उदय सिंह,पी0सी0एस0,से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-**जी0ए0यू0-84680** में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री उदय सिंह,पी0सी0एस0,से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-452/90219/110199, दिनांक 22/23.03.2023 के अनुसार वर्ष-2021-22 तक कुल जमा धनराशि रू0 42,82,463/-(रू0 बयालीस लाख बयासी हजार चार सौ तिरेसठ मात्र) जिस पर माह 3/2022 तक ब्याज सम्मिलित है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-38,54,217/-(रू0 अड़तीस लाख चौवन हजार दो सौ सत्रह मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री उदय सिंह, से0नि0,पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम(निधि-17) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। **(रजिस्टर्ड)**

2- **जिलाधिकारी,लखनऊ** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री उदय सिंह,**पी.सी.एस. तत्कालीन रजिस्ट्रार, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्व विद्दयालय,उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त** के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो। **(रजिस्टर्ड)**

3- **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट,लखनऊ (रजिस्टर्ड)**

4- श्री उदय सिंह,पी.सी.एस.से.नि.,**पता**-ग्राम-धनखिरिया, पोस्ट-घेचुआ, तहसील-खलीलाबाद, जनपद-संत कबीरनगर,पिन-272199 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in